[2021] 7 एस. सी. आर 175

इन आरईः प्रवासियों की समस्याएं और गलतियाँ

मजदूर

(2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 06)

के साथ

(2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 916)

(बांधुआ मुक्ति मोरचा बनाम। भारत और ओ. आर. एस. का संघ)

29 जून, 2021

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, जे. जे.]

कोविड-19 महामारी-प्रवासी मजदूर-सुधार-विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की समस्याएं और दुख

मार्च, 2020 में देश को घेर लिया-जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था

आई. डी. 1 पर घोषित किया गया था, कुछ दिनों के बाद, प्रवासी मजदूरों का भारी पलायन उनके कार्यस्थल से उनके मूल स्थानों पर हो गया था-सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया-सुओ मोटो रिट याचिका

सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध हों जिनके लाभों के लिए कल्याणकारी योजनाएं घोषित की जाती हैं-केंद्रीय सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय) वितरण) के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन और वितरण करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवासी मजदूरों को सूखे खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न-अनाज की मांग-जिन राज्यों ने अभी तक "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना को लागू नहीं किया है, उन्हें इसे 31.07.2021 तक लागू करने का निर्देश दिया गया है-सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने और सभी को लाइसेंस देने का निर्देश दिया गया है

अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के तहत ठेकेदार और यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी श्रमिकों का विवरण देने के लिए ठेकेदारों पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया जाए-राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश दिया गया है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पाए जाते हैं, जो उन प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाते हैं जिनके पास दिन में दो बार भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं-सामुदायिक रसोई का संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है कम से कम महामारी (कोविड-19) जारी रहने तक-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013-अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979-भवन और अन्य

निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996-असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

कम से कम जीवन की आवश्यकताओं तक पहुँच के साथ गरिमा। निर्धन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का परम कर्तव्य है। मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया था। जिनकी पहचान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थी के रूप में की गई है, वे हैं - केंद्र और राज्यों की योजनाओं के अनुसार सूखा राशन प्रदान किया। यदि कोई प्रवासी श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य के अंतर्गत आता है

सुरक्षा अधिनियम, 2013 और इसके तहत राशन कार्ड जारी किया गया था

अधिनियम, वह केंद्र की योजना के अनुसार, अपने कार्यस्थल पर भी, जहां कहीं भी हो, सूखे राशन तक पहुँचने का हकदार है।

सरकार का नाम "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने असंगठित श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की दुखद तस्वीर यह है कि आईएन आरईः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

बड़ी संख्या में लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य की इन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच से वंचित हैं

सरकारें। [पारस 17,18,20] [194-ए-सी, ई-एफ, जी-एच; 195-ए]

2. प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन

2.1 जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड है और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आते हैं, वे अपने कार्ड का उपयोग करके उस राज्य में भी सूखे राशन का लाभ उठा सकते हैं जहां वे काम के लिए चले गए हैं। वास्तविक कठिनाई उन प्रवासी श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होती है जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत या यहां तक कि संबंधित राज्यों द्वारा जारी कोई कार्ड नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं है। उनकी उपरोक्त अक्षमता उनकी गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण है, लेकिन राज्य ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है, विशेष रूप से महामारी और ऐसी घटनाओं के मद्देनजर जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकती है। [पैरा 24] [197-ए-सी]

2.2 भारत संघ का हलफनामा इंगित करता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, जो विभाग द्वारा जारी किया गया था

भोजन और सार्वजनिक वितरण, प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों को कवर किया गया और दो महीने की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त सूखा राशन दिया गया। यह वे राज्य थे जिन्होंने महामारी की पहली लहर में लगभग 2.80 करोड़ प्रवासी आबादी की पहचान की थी, जो भारत संघ के हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। जब राज्यों द्वारा 2.80 करोड़ प्रवासियों की पहचान की जाती है, तो ऐसे प्रवासियों तक पहुंचने और उन लोगों को सूखे राशन की आपूर्ति करने में राज्य के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है जो अभी भी अपने चिन्हित स्थानों पर हैं। भारत संघ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत संघ विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुरोध किया जाता है। [पैरा 25] [197-सी-एफ]

2.3 विभिन्न राज्यों द्वारा दायर हलफनामों से यह प्रतीत होता है कि हालांकि कुछ राज्यों ने इसके लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं।

प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन का वितरण, अधिकांश राज्यों में ऐसी योजनाएं नहीं हैं। कई राज्यों ने ऐसी किसी भी योजना का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत महामारी की दूसरी लहर में प्रवासी श्रमिकों को कोई राशन वितरित किया गया हो।

गुजरात ने 'अन्नम्ब्रह्मा' योजना नामक एक योजना का उल्लेख किया है जिसे एक बार फिर से लागू किया गया है और आज तक यह चालू है। हालाँकि, महामारी की इस दूसरी लहर में कितने प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान किया गया है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। [पैरा 27] [197-जी-एच; 198-ए-बी]

2.4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं और जिन तक पहुँचने वाली एजेंसी हैं

लाभार्थी को प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करनी होगी और उन प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने और सूखे राशन की आपूर्ति करने के तरीके और साधन ढूंढने होंगे। विशेष रूप से इस महामारी के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर को दिन में दो बार भोजन से वंचित न किया जाए। भारत संघ ने उल्लेख किया है कि मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया है। भारत संघ ने भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 20.05.2021 परिपत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें "कोविड-19,2021 के दौरान घोषित विभिन्न खाद्य सुरक्षा उपायों" विषय पर कहा गया है। इस प्रकार, केंद्र सरकार पहचान के बाद प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए राज्यों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न आवंटित करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ परामर्श करके एक योजना बना सकती है -

विशेष रूप से इस महामारी में प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने का तंत्र ताकि उन्हें सूखा राशन प्रदान किया जा सके। [पैरा 29,30,31] [198-एफ एच; 199-ए, सी-डी]

2.5 केंद्र सरकार ने लिया कदम

राज्यों, केंद्र सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) द्वारा बनाई गई किसी योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई मांग के अनुसार अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न वितरित करना।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) को प्रवासी मजदूरों को सूखे खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने और वितरित करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 33] [199-एफ-जी]

2.6 राज्यों को एक उपयुक्त व्यवस्था लाने का निर्देश दिया जाता है

प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरित करने की योजना जिसके लिए राज्यों को अतिरिक्त आई. एन. आर. ई. का आवंटन करने की अनुमति होगीः

केंद्र सरकार से खाद्यान्न, जो राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। राज्य एक उपयुक्त योजना पर विचार करेगा और लाएगा, जिसे 31.07.2021 पर या उससे पहले लागू किया जा सकता है। ऐसी योजना जारी रखी जा सकती है और वर्तमान महामारी (कोविड-19) जारी रहने तक संचालित। [पैरा 34] [199-जी-एच; 200-ए-बी]

3. वन नेशन वन राशन कार्ड

3.1 " वन नेशन वन राशन कार्ड "भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड समूह के तहत एकीकृत किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन. एफ. एस. ए.) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर

3.3 जब प्रवासी श्रमिक पूरे देश में फैले होते हैं, तो प्रत्येक राज्य को इस योजना को लागू करना होता है, जो इस वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक आवश्यक कल्याणकारी उपाय है। राज्यों का कर्तव्य है कि वे इस योजना को लागू करें, जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के हित में एक कल्याणकारी योजना है समाज के वर्ग। जब कोई प्रवासी श्रमिक काम/रोजगार के लिए किसी विशेष राज्य में पहुंचता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना द्वारा कवर किया जाता है, तो प्राप्त करने वाला राज्य [2021] 7 एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय खाद्य के तहत उनके अधिकार और अधिकार

सुरक्षा अधिनियम को केवल इस तथ्य के कारण अस्वीकार नहीं किया जाता है कि वह अपने पैतृक राज्य में नहीं है जहाँ से उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत राशन कार्ड जारी किया गया था। इस प्रकार, जिन राज्यों ने अभी तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू नहीं की है, उन्हें इसे लागू करना चाहिए। जिन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है, उन्हें इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया जाता है। [पारस 37,38] [200-जी-एच; 201-ए-सी]

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी का कवरेज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 में प्रावधान है

लक्षित जनता के तहत पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार के लिए

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी है और राज्य के ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिनकी जनगणना के अनुसार प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यवार कवरेज का निर्धारण तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा 2011-2012 के लिए एन. एस. एस. घरेलू उपभोग सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करके किया गया था। राज्यवार कवरेज के निर्धारण को 10 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। घटना में, केंद्र सरकार उपक्रम करती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यवार कवरेज के नए निर्धारण से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए राज्यवार लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होना तय है। [पारस 39,40] [201-डी; 202-बी-ई]

5. अंतर-राज्य प्रवासी कर्मचारी (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) अधिनियम, 1979

5.1 संसद ने प्रवासी श्रमिकों को बड़े पैमाने पर काम करने से बचाने के लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ उपरोक्त अधिनियम को लागू किया

कुप्रथाओं की संख्या। अध्याय 2 अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से संबंधित है। धारा 6 में एक निषेधाज्ञा है कि आई. एन. आर. ई. का कोई प्रमुख नियोक्ता नहीं हैः

प्रतिष्ठान में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त किया जाएगा जब तक कि अधिनियम के तहत ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। इसी तरह, अध्याय

III ठेकेदारों को लाइसेंस देने से संबंधित है। धारा 8 (2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के तहत लाइसेंस में समझौते या अन्य व्यवस्था के नियम और शर्तें हो सकती हैं जिसके तहत श्रमिकों की भर्ती की जाएगी, देय पारिश्रमिक, काम के घंटे, मजदूरी का निर्धारण और अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के संबंध में अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल की जानी हैं। धारा 12 ठेकेदार के कर्तव्यों और दायित्वों का प्रावधान करती है। अनुभाग 12 (1) (क) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह भर्ती की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, या, जैसा भी मामला हो, रोजगार की तारीख से, उस राज्य में निर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिससे एक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक की भर्ती की जाती है और जिस राज्य में ऐसा श्रमिक नियोजित है, ऐसे विवरण और ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करे जो निर्धारित किए जाएं। [पैरा 41,44] [202-एफ-जी; 206-सी-एफ]

5.2 फॉर्म X जिसके तहत जानकारी दी जानी है

ठेकेदार में प्रवासी कामगारों से संबंधित विभिन्न विवरण होते हैं। घटना में, लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार प्रवासियों को शामिल करते हैं

श्रमिक, वह निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का विवरण देने के लिए बाध्य है और यह प्रवासी श्रमिकों की भर्ती करने वाले अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है ताकि

अधिकारी प्रवासी श्रमिकों तक पहुँचें और उन लाभों का विस्तार करें जिनके लिए ऐसे प्रवासी श्रमिक हकदार हैं। उपयुक्त

सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करनी है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने और अधिनियम के तहत सभी ठेकेदारों को लाइसेंस देने का निर्देश जारी करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रवासी श्रमिकों का विवरण देने के लिए ठेकेदारों पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया जाए। प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करते समय सक्षम प्राधिकारी और ठेकेदारों को लाइसेंस देने से सेवा की स्थिति, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं से संबंधित शर्तें भी लागू हो सकती हैं जैसा कि अधिनियम के अध्याय V में निर्धारित किया गया है। [पैरा 45,46] [207-ए-सी, ई-एफ]

6. असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

6.1 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक

(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 [2021] 7 एस. सी. आर.

संसद द्वारा भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में प्रावधान है कि

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण। अध्याय IV में भवन निर्माण श्रमिकों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है और पहचान पत्र जारी करने पर विचार करता है। [पैरा 47] [207-जी-एच; 208-ए-बी]

6.2 अन्य अधिनियम, जिसे संसद द्वारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है

असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 है। असंगठित श्रमिक 94 प्रतिशत कार्यबल का गठन करते हैं, जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी देखा गया है। असंगठित श्रमिक गरीब वर्ग के हैं।

समाज, कम शिक्षित और अपने नियोक्ता के अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं हैं। असंगठित श्रमिक भी आसानी से अधिनियम, 2008 के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं ताकि वे केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी। [पारस 48,49] [209-सी-डी; 210-एफ-जी]

6.3 हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अगस्त, 2020 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लेकिन आधार के उपयोग के प्रावधान को छोड़कर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार, अधिनियम, 1996 और अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकरण तब तक जारी रहना है जब तक कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधान लागू नहीं हो जाते हैं, अधिनियम, 1996 और अधिनियम, 2008 दोनों के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण असंगठित श्रमिकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि पंजीकरण के बाद ही वे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं। द.

इस प्रकार, जहां तक श्रमिकों के कल्याण का संबंध है, असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण है। [पैरा 50] [211-डी-एफ]

7. एनसीटी दिल्ली

7.1 एन. सी. टी. दिल्ली राज्य की ओर से दायर किए गए दिनांक 08.06.2021 के हलफनामे में, पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कोई विवरण नहीं है। निर्माण श्रमिक, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक और

असंगठित श्रमिकों का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, आई. एन. आर. ई. के संबंध में एन. सी. टी. दिल्ली की ओर से प्रस्तुत किए गए दिनांकित 14.06.2021 नोट में:

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

04.06.1982 . यह आगे कहा गया है कि धारा 2 (ई) के आधार पर, प्रवासी श्रमिक स्वयं अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकरण नहीं कर सकते हैं और यह ठेकेदार है, जिसे प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करना होता है। अधिनियम, 1996 के संबंध में, यह कहा गया है कि उक्त अधिनियम के तहत, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (आरई एंड सीएस) नियम, 2002 अधिसूचित किए गए हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न नियोक्ताओं को अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत कराने के लिए नोटिस जारी करके कदम उठाए जा रहे हैं। [पैरा 52] [212-ए-डी]

7.2 इस न्यायालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉड्यूल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था

अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकरण के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र। उपरोक्त निर्देश के बावजूद जो 21.08.2018 पर जारी किया गया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय अभी तक पंजीकरण के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉड्यूल प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कई राज्यों ने कहा है कि

7.3 भारत संघ को दिनांक 24.05.2021 के आदेश द्वारा प्रक्रिया के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। निर्देश के अनुसरण में, भारत संघ द्वारा दिनांक 09.06.2021 पर एक हलफनामा दायर किया गया है।

[पैरा 74] [219-डी-ई]

राज्यों और केंद्र की योजनाओं, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उदासीनता और अभावपूर्ण रवैया है अक्षम्य। महामारी और लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित श्रमिकों की सख्त आवश्यकता को देखते हुए पोर्टल को अंतिम रूप देने और लागू करने की तात्कालिकता थी। मॉड्यूल [2021] 7 एस. सी. आर. को पूरा नहीं करने में श्रम और रोजगार मंत्रालय का रवैया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भले ही 21.08.2018 पर जल्दी से निर्देशित किया गया हो, यह दर्शाता है कि

यह सुनिश्चित करें कि असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) पोर्टल को अंतिम रूप दिया गया है और पोर्टल का कार्यान्वयन 31.07.2021 पर या उससे पहले शुरू हो। [पैरा 75] [220-एफ-एच; 221-ए] 7.5 प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना,

पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह आग्रह किया जाता है कि वे असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) परियोजना के तहत पंजीकरण के लिए पोर्टल को पूरा करें और इसे लागू करें, जो किसी भी तरह से 31.07.2021 के बाद शुरू हो सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण पूरा होने के बाद, डेटा का सुधार और अद्यतन हमेशा संभव होना चाहिए और जो प्रक्रिया का हिस्सा है। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद ही राज्य और केंद्र उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे सकेंगे। इससे पहले जब तक पंजीकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक सभी राज्यों और केंद्र द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और असंगठित लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है

असंगठित श्रमिकों को कोई लाभ दिए बिना श्रमिक केवल कागज पर ही रहते हैं। [पैरा 76] [221-बी-डी]

8. सामुदायिक रसोईघर

महामारी के दौरान राज्य सामुदायिक रसोई चला रहे हैं। राज्य को सामुदायिक रसोई का संचालन करना चाहिए प्रमुख स्थान जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, किन सामुदायिक रसोईघरों को जारी रखा जाना चाहिए-कम से कम

जब तक महामारी जारी रहती है। राज्यों को उन स्थानों का विज्ञापन करना चाहिए जहां सामुदायिक रसोई/सब्सिडी वाले भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि कोई भी प्रवासी श्रमिक, जो अपने दो भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो, वह भूखे न रह सके। [पैरा 78] [222-जी-एच; 223-ए]

9. असंगठित श्रमिकों को सीधे बैंक हस्तांतरण।

9.1 सभी राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं और अधिकांश राज्यों ने निर्माण श्रमिकों को सीधे बैंक हस्तांतरण किया है। अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत हैं। आरई में निर्माण के लिए 1,000/- रुपये से लेकर 6,000/- रुपये तक की राशि हस्तांतरित की गई है:

इस तरह के अधिकार के लिए दावा। किसी भी राज्य द्वारा ऐसी किसी भी योजना का अभिलेख पर अनुरोध नहीं किया गया है जहां राज्य द्वारा प्रवासी मजदूर को सीधे बैंक हस्तांतरण करने का सचेत निर्णय लिया गया हो। प्रत्यक्ष बैंक अंतरण नीति का विषय होने के कारण और राज्य के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जैसा कि कुछ आवेदकों/हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में मौजूदा योजना के अनुसार सीधे बैंक हस्तांतरण का हकदार है, तो वह नीति निर्णय में दिए गए तंत्र द्वारा उक्त लाभ का लाभ उठा सकता है। [पैरा 79]

[223 - ए-ई]

राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ और अन्य बनाम। पी आर. रामकृष्णन और अन्य (1983) 1 एस. सी. सी. 228: [1983] 1

एस. सी. आर. 922 को संदर्भित किया गया

मामला कानून संदर्भ

[1983] 1 एससीआर 922

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सुओ मोटू रिट याचिका

(सिविल) 2020 का सं. 6

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

इन रेः प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और दुख

के साथ

2020 की लेखन याचिका (सी) No.916

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी,

एस. सी. वर्मा, अमित कुमार, अशोक परिजा, अधिवक्ता। जनरल, नलिन कोहली, मनोज कुमार सिंह, अनिल ग्रोवर, अजय बंसल, सुश्री गरिमा प्रसाद, एएजीएस। , सुश्री अंकिता चौधरी, डिप्टी कमिश्नर। एड. जनरल, दुष्यंत दवे, कॉलिन गोंजाल्विस, मनिंदर सिंह, श्रीमती मनीषा लवकुमार, डॉ. मनीष सिंघवी, आनंद ग्रोवर, सुश्री इंदिरा जयसिंह, सुश्री गायत्री सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री चेरिल डिसूजा, प्रशांत भूषण के लिए राहुल गुप्ता, गुंजन सिंह, सत्य मित्रा, कानू अग्रवाल, रजत नायर, सौरभ मिश्रा, सुगोश

सुब्रमण्यम, प्रशांत रावत, प्रशांत सिंह, राज बहादुर यादव, बी. वी. बलराम दास, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, अनिल श्रीवास्तव, 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुभदीप रॉय, सुश्री निमिषा मेनन, मनीष कुमार, सुमीर सोधी, सुश्री सिमरान अग्रवाल, पराग एम. श्रॉफ, अरुण पेडनेकर, सचिन पाटिल, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री दीपानविता प्रियंका, राहुल खुराना, सुश्री नूपुर सिंघल, सतीश कुमार, संजय कुमार विसेन, गौरव यादव, सुश्री वीणा बंसल, सुशील कुमार ए., अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, तपेश कुमार सिंह, कुमार अनुराग सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, आनंदो मुखर्जी, जी. एम. कावूसा, सुश्री तरुणा। अर्धेन्दुमाउली प्रसाद, पार्थ अवस्थी, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा नगंगोम, करुण शर्मा, अविजीत मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, सुश्री तारिणी के. नायक, पी. एस. नेगी, मृणाल एल्कर मजूमदार, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री मान्या हसीजा, सुश्री अना उपाध्याय, निरनीमेश दुबे, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सिबो एस.

जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, निखिल गोयल, नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू, कानू अग्रवाल, रजत नायर, सौरभ मिश्रा, सुगोश सुब्रमण्यम, प्रशांत रावत, राज बहादुर यादव, सुश्री पिंकी बेहरा, सुश्री शशि जुनेजा, अरविंद एस., ए. लक्ष्मीनारायणन, सुश्री रोनिता भट्टाचार्य, सुश्री मेघा चंद्र, नूपुर कुमार, पारस नाथ सिंह, सुश्री उज्जैनी चटर्जी, नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 ने इस देश को अपनी चपेट में ले लिया

मार्च, 2020 और आज तक समय-समय पर अपना चेहरा बदल रहा है। वायरस में विभिन्न उत्परिवर्तनों ने इसे कई बार खतरनाक और घातक बना दिया है। महामारी ने इस देश के सभी नागरिकों सहित दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया था। महामारी ने छोटे पैमाने के व्यवसायों, उद्योगों, बाजारों और सबसे छोटे व्यक्ति सहित सभी व्यवसायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

इन आरईः प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

लॉकडाउन और महामारी के डर के कारण रोजगार। जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने राजमार्गों पर पैदल, साइकिलों और परिवहन के अन्य साधनों पर बिना भोजन के चलना शुरू किया और कई अनकहे दुखों का सामना करना पड़ा, तो इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए समस्याओं का संज्ञान लिया और जिस तारीख को यह सुओ मोटू रिट याचिका दर्ज की गई थी, उस तारीख के अपने आदेश 26.05.2020 द्वारा प्रवासी मजदूरों के दुख को दर्ज किया गया था। हमने भारत संघ और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था और विद्वान सॉलिसिटर जनरल को अदालत की सहायता करने और सुनवाई की अगली तारीख तक भारत सरकार द्वारा उठाए गए सभी उपायों और कदमों को अदालत के संज्ञान में लाने और इस संबंध में उठाए जाने का निर्देश दिया था।

3. हमारे दिनांकित 26.05.2020 के आदेश के अनुसरण में शपथ पत्र थे

दाखिल किया। केंद्र सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हलफनामा दायर करने के अलावा, कुछ व्यक्तियों ने इस रिट याचिका में हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किया, जिसमें इस न्यायालय के ध्यान में कई तथ्य, आंकड़े लाए गए और केंद्र सरकार की शर्तों को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया।

प्रवासी मजदूर। उन प्रमुख मुद्दों में से एक, जिससे उस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निपटना था, प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल से उनके मूल स्थानों तक पहुँचाना था।

4. हमने 28.05.2020 पर कुछ निर्देश जारी किए थे और उसके बाद 09.06.2020 पर आगे के निर्देश जारी किए, जिसके आदेश के पैराग्राफ 26 में, हमने निम्नलिखित ध्यान दियाः

" 26. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने हलफनामों में विभिन्न उपायों, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों और दिशानिर्देशों, आपदा के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख किया है। प्रबंधन अधिनियम, 2005, संबंधित राज्यों द्वारा ली गई नीतियां और निर्णय। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी निर्देशों और नीतियों का पालन करने और आवश्यक कदम उठाने का दावा किया

प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुँचाना। राज्य की नीतियों और इरादों के लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों पर [2021] 7 एस. सी. आर. लागू किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिपत्रों, नीतियों और योजनाओं को कुशलता से सौंपा जाता है और

अपने आवेदनों और शपथपत्रों में विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा। द. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी न केवल अपनी नीति, विचार किए गए उपायों, आवंटित धन का उल्लेख करना है, बल्कि इस बारे में कड़ी सतर्कता और पर्यवेक्षण होना चाहिए कि क्या वे उपाय, योजनाएं, लाभ उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनके लिए वे हैं। हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सतर्कता और पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उचित कार्रवाई की जाए। हमें इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि

अधिकांश अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी निष्ठा और कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन खामियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हम अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से आगे देखते हैं कि राज्यों के पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल जहां भी तैनात हैं, वे सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों के संबंध में अधिकता के कुछ उदाहरण भी हैं। प्रवासी मजदूर, जो अपने रोजगार की समाप्ति के बाद अपने मूल स्थान पर जाने के लिए मजबूर थे, वे हैं

पहले से ही पीड़ित। सभी प्रवासी मजदूरों के साथ होने वाली वित्तीय कठिनाई से उन्हें हमेशा पुलिस और अन्य लोगों द्वारा निपटना पड़ता है मानवीय तरीके से अधिकारी। संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

इस संबंध में "।

5. इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा आठ निर्देश जारी किए गए थे।

09.06.2020 , जिनका निम्नलिखित प्रभाव पड़ाः

" 35. हम, इस प्रकार, अपने दिनांकित 28.05.2020 आदेश द्वारा पहले से जारी निर्देशों और ऊपर निर्देशित उपायों के अलावा, केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगे के निर्देश जारी करते हैं:

(1) सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश फंसे हुए प्रवासियों की पहचान के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

अपने राज्य में श्रमिक जो अपने मूल स्थानों पर लौटने और ट्रेन/बस द्वारा अपनी वापसी यात्रा के लिए कदम उठाने के इच्छुक हैं, जो प्रक्रिया आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जा सकती है।

(2) किसी भी अतिरिक्त मांग की स्थिति में, 171 श्रमिक ट्रेनों की मांग के अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, रेलवे प्रवासी श्रमिकों [अशोक भूषण, जे।

प्रवासी श्रमिकों की वापसी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत 24 घंटे की अवधि के भीतर श्रमिक ट्रेनें प्रदान करें। केंद्र सरकार उन सभी योजनाओं का विवरण दे सकती है जिनका लाभ वे प्रवासी श्रमिक उठा सकते हैं जो अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं।

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन सभी योजनाओं का विवरण भी देंगे जो राज्य में वर्तमान में हैं, जिनका लाभ प्रवासी मजदूरों द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं सहित लिया जा सकता है। राज्य सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर परामर्श केंद्र, हेल्प डेस्क स्थापित करेगा।

सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना और प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार और लाभ के अवसरों की पहचान करने में मदद करना।

अपने मूल स्थानों पर पहुँच चुके सभी प्रवासी मजदूरों के विवरण को उनके कौशल, रोजगार की प्रकृति, पहले के रोजगार के स्थान के विवरण के साथ रखा जाएगा। प्रवासी मजदूरों की सूची होगी -

जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, स्थापित परामर्श केंद्र उन प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेंगे जो अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं और जो अपने रोजगार के स्थानों पर लौटना चाहते हैं। सभी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियोजन/शिकायतों को वापस लेने और उन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज अन्य संबंधित अपराधों पर विचार करेंगे, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लागू लॉकडाउन की अवधि के दौरान सड़कों पर चलकर लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हमारे दिनांकित 09.06.2020 के निर्देशों के अनुसरण में, सभी राज्य /

केंद्र शासित प्रदेशों ने कदम उठाए और कुछ ही समय में प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर पहुँचाया गया। 31.07.2020 पर, मामले की फिर से सुनवाई हुई। हमने अपने दिनांक 09.06.2020 के आदेश में निम्नलिखित तीन अधिनियमों का उल्लेख किया थाः

i) अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन)

और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979; निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और

(ख)

सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996; और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

iii)

7. हमने सभी राज्यों को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था

उपर्युक्त तीन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए। 31.07.2020 पर, हमने राज्यों को दिनांकित 09.06.2020 के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। 09.06.2020 और 31.07.2020 दिनांकित हमारे आदेशों के अनुसरण में, केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस न्यायालय के आदेशों को लागू करने और प्रवासी मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किए। हालाँकि विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए उपाय प्रवासी मजदूरों की स्थिति को पूरी तरह से सुधार नहीं सके, लेकिन महामारी की पहली लहर में कुछ सांत्वना मिली और इच्छुक प्रवासी मजदूर अपने मूल स्थान पर पहुँच गए

स्थान। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ महीनों के बाद, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर फिर से अपनी तलाश में अपने कार्यस्थल पर चले गए।

महामारी की संख्या समय-समय पर बदलती रही, मार्च, 2021 के बाद देश में महामारी की दूसरी लहर आई और मामलों की संख्या शुरू हुई पूरे देश में बढ़ रहा है। एन. सी. टी. सहित विभिन्न राज्य

दिल्ली ने अप्रैल, 2021 में प्रतिबंधों, रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन सहित विभिन्न उपाय किए। एन. सी. टी. दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य, कर्नाटक राज्य सहित कई स्थानों पर प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसी स्थिति के डर से फिर से अपने मूल स्थानों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है जो पहले राष्ट्रव्यापी में हुई थी।

लॉकडाउन, जो मार्च, 2020 में लगाया गया था। रिट याचिका में 2021 का एक आई. ए. No.58769 दायर किया गया था, जिसमें अदालत से निर्देश की मांग की गई थी, जिसमें विशेष रूप से प्रवासी आर. ई. को सूखा राशन वितरित करने के निर्देश के लिए अनुरोध किया गया थाः

ers, सड़क या ट्रेन द्वारा उनके परिवहन की सुविधा प्रदान करते हुएई स्थानों पर और सामुदायिक रसोई मजदूरों के संचालन के लिए निर्देश देने के अनुरोध के साथ ताकि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को एक दिन में भोजन मिल सके।

9. 13.05.2021 पर, हम याचिका पर विचार करते हुए और पूछते हुए

उत्तर के लिए राज्यों को निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए गए:

" [2.0] पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हम केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों के लिए) को निर्देश देते हैं कि वे सुझाव देने वाले आवेदन का जवाब दाखिल करें।

ऐसे साधन और उपाय जिनके द्वारा वे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के दुखों को दूर करेंगे। हम आवेदन पर महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य और बिहार राज्य को भी नोटिस जारी करते हैं -

उन उपायों का विवरण देते हुए अपना जवाब दाखिल करें जो उन्होंने किए हैं

प्रवासी श्रमिकों के दुखों को कम करने का प्रस्ताव

फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के परिवहन और फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन के साथ-साथ पका हुआ भोजन प्रदान करने के संबंध में। इस बीच, 7 हम निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी करते हैं:

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत योजना या किसी अन्य योजना के तहत भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य द्वारा मई, 2021 से प्रत्येक राज्य में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए सूखा राशन प्रदान किया जाना चाहिए। सूखा राशन प्रदान करते समय राज्यों के अधिकारी उन प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र पर जोर नहीं देंगे जिनके पास कुछ समय के लिए नहीं है और राज्य सरकार द्वारा की गई स्व-घोषणा पर।

फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन दिया जाए।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों के लिए) यह सुनिश्चित करेंगे कि

फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को परिवहन प्रदान किया जाता है (में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) जो अपने घर लौटना चाहते हैं।

पुलिस के साथ समन्वय में जिला प्रशासन

प्रशासन ऐसे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पहचान कर सकता है और सड़क परिवहन या ट्रेन द्वारा उनके परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकता है। भारत संघ रेल मंत्रालय को आवश्यक और पर्याप्त उपाय करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर सकता है।

प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को पूरा करना।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों के लिए) फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) पर सामुदायिक रसोई खोलेंगे ताकि वे और उनके परिवार के सदस्य जो फंसे हुए हैं, उन्हें दिन में दो बार भोजन मिल सके।

10. दिनांक 13.05.2021 के आदेश के बाद, इस न्यायालय द्वारा मामले की फिर से 24.05.2021 पर सुनवाई की गई और पैराग्राफ 14 और 15 में, हमने निम्नलिखित निर्देश दिए थेः

" 14. भारत संघ ने अपने दिनांकित 26.04.2020 पत्र में, जिसे अनुलग्नक आर-14 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है, यह भी कहा है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए

प्रवासी एन. एफ. एस. ए. लाभार्थी उन प्रवासियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओ. एन. ओ. आर. सी.) के तहत सुवाह्यता की सुविधा का उपयोग करेंगे।

15. इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि देश भर में जहां कहीं भी फंसे प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर योजना या किसी अन्य योजना के तहत सूखा राशन प्रदान किया जाना चाहिए।

राज्यों/केंद्र द्वारा "।

11. रिट याचिका फिर से इस न्यायालय के समक्ष 11.06.2021 पर सुनवाई के लिए आई, जिस दिन, हस्तक्षेप करने वालों के विद्वान वकील सहित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने सुनवाई बंद कर दी।

12. हमने भारत के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे और श्री कॉलिन गोंजाल्विस को सुना है। हमने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विद्वानों की सलाह भी सुनी है।

13. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार

(एन. एस. ओ.) 2017-2018 में लगभग 38 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इस प्रकार, असंगठित क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या पूरे देश की आबादी के एक चौथाई से अधिक है। इन असंगठित श्रमिकों के पास रोजगार का कोई स्थायी स्रोत नहीं था और वे अपने मूल स्थानों से दूर विभिन्न स्थानों पर छोटे व्यवसायों और व्यवसायों में लगे हुए थे। विभिन्न परियोजनाओं, उद्योगों में इन श्रमिकों के योगदान से देश के आर्थिक विकास में काफी वृद्धि हुई है।

14. हमारा संविधान यह आदेश देता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है।

कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके लोगः

आय में असमानताओं को कम करने और स्थिति में असमानता को खत्म करने का प्रयास करने के लिए आम भलाई की उप-सेवा करने के लिए।

15. महामारी की पहली और दूसरी लहर दोनों में, प्रवासी

श्रमिकों को उनकी सीमित पहुंच और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी संसाधनों के दावे के कारण वित्तीय और अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रवासी मजदूर विशेष रूप से आर्थिक प्रतिगमन के प्रति संवेदनशील। राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। पी. आर. रामकृष्णन और अन्य, (1983) 1 एस. सी. सी. 228 ने कंपनी के श्रमिकों के अधिकार से निपटने के दौरान श्रमिकों द्वारा एक कंपनी में काम करते समय श्रम की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां असंगठित श्रमिकों के संबंध में अधिक प्रासंगिक हैं, जिनके पास लगातार और नियमित रोजगार भी नहीं है। न्यायमूर्ति भगवती ने निर्णय के पैराग्राफ 6 में बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

" 6. .....

इसलिए श्रमिकों के पास एक

समाज के समाजवादी स्वरूप में विशेष स्थान। वे अब नहीं हैं। परिश्रम के विक्रेता; वे एक विपणन योग्य वस्तु नहीं हैं

पूँजी के मालिकों द्वारा खरीदा गया। वे धन के उत्पादक हैं।

नपुंसक बनें और वे, कम से कम, पूंजी के साथ समान भागीदार हैं उद्यम में। हमारे संविधान ने गहरी चिंता व्यक्त की है

श्रमिकों के लिए और उन्हें नए समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिया

प्रस्तावना और निर्देश में परिकल्पित आर्थिक व्यवस्था

राज्य नीति के सिद्धांत। प्रस्तावना में गहराई है

लाखों लोगों के लिए अर्थ और आशा के साथ गर्भवती घोषणा

किसान और मजदूर कि भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश होगा

सभी के लिए अवसर और बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व। सभी आश्वस्त हैं।

अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण

कानून और इस प्रावधान में निहित समानता की गारंटी है एक ही काम या काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए पारिश्रमिक

समान प्रकृति।

16. जब प्रवासी मजदूर आबादी का एक चौथाई से अधिक हिस्सा बनाते हैं

देश की सभी सरकारों/प्राधिकरणों को इन प्रवासी श्रमिकों/मजदूरों के कल्याण के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा।

प्रवासी मजदूरों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं, जिन्हें हम इसके बाद देखेंगे।

17. संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।

कम से कम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें। निर्धन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का परम कर्तव्य है। द. मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया था। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 3. हालाँकि, लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में भी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित कानून खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल करने के लिए वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण से सही आधारित दृष्टिकोण की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। कवरेज के विस्तार के अलावा

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रस्तावित कानून पात्र लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न की हकदार मात्रा प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। यह भी होगा।

महिलाओं और बच्चों को मुफ्त भोजन प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करना।

शुल्क "।

19. हमसे पहले, इन कार्यवाही में, आवेदकों/हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रवासी श्रमिकों के बड़े वर्ग को सूखे राशन की आपूर्ति न करने के बारे में चिंता जताई है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत नहीं आते हैं और जिनके पास राशन नहीं है। राशन कार्ड।

20. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने असंगठित श्रमिकों, भवन निर्माण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

निर्माण श्रमिक लेकिन जमीनी हकीकत की दुखद तस्वीर आई. एन. आर. ई. इतनी बड़ी हैः

इन कल्याणों तक पहुँच से वंचित लाभार्थियों की संख्या

केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाएं। इस याचिका में, हमने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में पहले भी कई निर्देश जारी किए थे, लेकिन प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, बल्कि संबंधित सरकार की सुस्ती को दर्शाती है।

21. राज्यों द्वारा दायर किए गए हलफनामों से यह स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर,

महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने मूल स्थानों पर जाने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई है इस रिट याचिका में समय-समय पर जारी किए गए हमारे निर्देशों के अनुसार। इस प्रकार, प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के संबंध में आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

22. जिन मुख्य विषयों से हम संबंधित हैं

कार्यवाही इस प्रकार हैः

प्रवासी श्रमिकों द्वारा सूखे राशन का अधिकार जो नहीं हैं

((i)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आता है और कौन

राशन कार्ड नहीं है;

((ii) "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" का कार्यान्वयन

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश;

(iii) राष्ट्रीय खाद्य के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी का कवरेज

सुरक्षा अधिनियम, 2013;

((iv) अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (विनियमन)

रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, इसका कार्य और कार्यान्वयन;

(v) असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

(क) 1996 के अधिनियम और 2008 के अधिनियम के तहत और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

उपरोक्त संबंध में;

(ख) परियोजना-श्रम मंत्रालय का असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) और

रोजगार, भारत सरकार; और

(ग) केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक प्रवासी मजदूरों की पहुंच सुनिश्चित करने का तंत्र।

और राज्य सरकारें।

(vi) राज्यों/संघ द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघर

क्षेत्र; और

(vii) असंगठित श्रमिकों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण।

(i) प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे और श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक इससे बहुत पीड़ित हैं।

महामारी और जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, वे सूखे राशन के हकदार हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महामारी की पहली लहर में केंद्र सरकार ने स्वयं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दो महीने यानी मई और जून, 2020 के लिए सूखा राशन प्रदान किया है। निवेदन यह है कि केंद्र सरकार को आत्मनिर्भर भारत का विस्तार करने की आवश्यकता है

महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए योजना। संघ का भारत ने 23.05.2020 और 09.06.2021 दिनांकित शपथ पत्र दायर किए हैं। 09.06.2021 दिनांकित शपथ पत्र में, पैराग्राफ 4 और 8 में निम्नलिखित कहा गया हैः -

" 4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, आत्मनिर्भर भारत योजना केवल मई और जून, 2020 के लिए मान्य थी। हालाँकि, इस विभाग के दिनांकित 20.05.2021 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पत्र के अनुसार, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अन्य प्रवासियों/फंसे हुए लोगों सहित चयनित लक्षित समूहों को वितरण के लिए एफ. सी. आई. से आवश्यकता के अनुसार रियायती दरों पर अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई विभिन्न अन्य योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं।

प्रवासियों, स्थानीय रूप से मूल्यांकन आवश्यकताओं के अनुसार।

8. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पिछले वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबीपी) के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से लगभग 8 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अतिरिक्त खाद्यान्न (4 एलएमटी प्रति माह, यानी मासिक एनएफएसए आवंटन का लगभग 10 प्रतिशत) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी/फंसे हुए प्रवासियों के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में आवंटित किया था। दो महीने (मई और जून, 2020)। यह कहा गया है कि प्रवासियों और फंसे हुए प्रवासियों दोनों को इस योजना के तहत शामिल किया गया था।

इस शर्त पर कि ऐसे प्रवासी/फंसे हुए प्रवासी न तो एन. एफ. एस. ए. के अंतर्गत आते हैं और न ही उन्हें उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्य योजना पी. डी. एस. कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें वे उस समय थे।

हालांकि, बाद में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुमान लगाया

आरई में लगभग 2.80 करोड़ कुल प्रवासी/फंसे हुए प्रवासियों के लिए आवश्यकताएँ:

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

जनसंख्या। ऐसे प्रवासियों/फंसे हुए लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी

प्रवासियों को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया था।

24. जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आते हैं, वे राशन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं।

राशन अपने कार्ड का उपयोग करते हुए उस राज्य में भी जहां वे काम के लिए चले गए हैं। वास्तविक कठिनाई उन प्रवासी श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होती है जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत या यहां तक कि संबंधित राज्यों द्वारा जारी कोई कार्ड नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं है। उनकी उपरोक्त अक्षमता उनकी गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण है, लेकिन राज्य ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है। विशेष रूप से महामारी और ऐसी घटनाओं के मद्देनजर जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकती है।

25. भारत संघ के हलफनामे से संकेत मिलता है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों को कवर किया गया था और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त सूखा राशन दिया गया था

प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन। विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों की पहचान और सूखे राशन का वितरण संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजनाएं बना सकता है। 27. विभिन्न राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल किए हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा दायर हलफनामों से यह प्रतीत होता है कि हालांकि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन वितरित करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में ऐसी योजनाएं नहीं हैं। कई राज्यों में 7 एस. सी. आर. (2021) नहीं हैं।

किसी भी योजना का उल्लेख किया जिसके तहत महामारी की दूसरी लहर में प्रवासी श्रमिकों को कोई राशन वितरित किया गया है। गुजरात राज्य ने 'अन्नम्ब्रह्मा' योजना नामक एक योजना का उल्लेख किया है जिसे एक बार फिर से लागू किया गया है और आज तक यह चालू है। हालाँकि, महामारी की इस दूसरी लहर में कितने प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान किया गया है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है।

28. एन. सी. टी. दिल्ली राज्य की ओर से यह कहा गया है कि आई. डी. 1 पर एक कैबिनेट निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि गैर-पी. डी. एस. को सूखा राशन उसी पात्रता पर प्रदान किया जाए जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। एक बयान इस प्रकार दिया गया हैः

" कैबिनेट निर्णय No.3004 दिनांक 25.05.2021 के माध्यम से। यह निर्णय लिया गया है कि गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सूखा राशन (खाद्यान्न) एन. एफ. एस. अधिनियम 2013 के तहत निर्दिष्ट उसी पात्रता पर प्रदान किया जाएगा जो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल) है। असंगठित श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों सहित राशन कार्ड नहीं रखने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को, दिल्ली के प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में पहचाने गए स्कूल से घरेलू सहायक को निःशुल्क। इस गैर-पी. डी. एस. राशन को लेने के लिए लाभार्थी को नामित स्कूलों में जाना पड़ता है। इस योजना को 5 जून, 2021 से लागू किया गया है और

20 लाख लाभार्थियों के लिए परिकल्पना की गई है।
29. अधिकांश राज्य खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं

दो महीने यानी मई और जून, 2020 के लिए निःशुल्क। पश्चिम बंगाल राज्य ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं और जो लाभार्थी तक पहुंचने वाली एजेंसी हैं, उन्हें प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करनी होगी और उन प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने और सूखे राशन की आपूर्ति करने के तरीके और साधन ढूंढने होंगे। विशेष रूप से इस महामारी के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर को दिन में दो बार भोजन से वंचित न किया जाए।

30. भारत संघ ने पैराग्राफ 7 और 8 में उल्लेख किया है कि मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया है। भारत संघ ने भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 20.05.2021 परिपत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस विषय पर कहा गया है कि "आरई में विभिन्न खाद्य सुरक्षाः

कोविड-19,2021 के दौरान घोषित किए गए उपाय, पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित बताए गए हैं:

" 3. पोर्टेबिलिटी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के अलावा एन. एफ. एस. ए. लाभार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओ. एन. ओ. आर. सी.), यह सलाह दी जाती है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी चयनित लक्षित समूहों को वितरण के लिए एफ. सी. आई. से आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ऊपर वर्णित विभिन्न योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं।

स्थानीय मूल्यांकन के अनुसार अन्य प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों सहित

आवश्यकताएँ "।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार पहचान के बाद प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए राज्यों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न आवंटित करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार, राज्यों के साथ परामर्श करके, विशेष रूप से इस महामारी में प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकती है ताकि उन्हें सूखा राशन प्रदान किया जा सके। 32. मनुष्य को भोजन के अधिकार के बारे में दुनिया भर में जागरूकता आई है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। हाल ही में, सभी सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही हैं और उपाय कर रही हैं कि कोई भी इंसान भूख से प्रभावित न हो और कोई भी भूख से न मरे। विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, उनके सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी भोजन तक पहुंच मिलनी चाहिए। भारत के संविधान में भोजन के अधिकार के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद में निहित जीवन का मौलिक अधिकार

21 संविधान की व्याख्या मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल हो सकता है।

33. केंद्र सरकार ने कुछ योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के अनुसार अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने का बीड़ा उठाया है

राज्यों द्वारा तैयार किए गए, हम केंद्र सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) को प्रवासी मजदूरों को सूखे खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने और वितरित करने का निर्देश देते हैं।

34. हम राज्यों को आगे एक उपयुक्त व्यवस्था लाने का निर्देश देते हैं।

प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरित करने की योजना जिसके लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न

केंद्र सरकार से, जो, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। राज्य विचार करेगा और एक उपयुक्त योजना लाएगा, जिसे उस दिन या उससे पहले लागू किया जा सकता है। 31.07.2021 . इस तरह की योजना को वर्तमान महामारी (कोविड-19) के जारी रहने तक जारी और संचालित किया जा सकता है।

((ii) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

35. " वन नेशन वन राशन कार्ड "भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक योजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड समूह के तहत एकीकृत किया गया है। हलफनामे में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निकासी की अनुमति दी है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है। इसके कार्यान्वयन से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन. एफ. एस. ए.) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर। राशन कार्ड की निर्बाध अंतर-राज्यीय सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए, सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक-पॉइंट ऑफ सेल (ई-पी. ओ. एस.) उपकरणों की स्थापना के साथ सभी उचित मूल्य की दुकानों (ए. एफ. पी. एस.) के स्वचालन के माध्यम से लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण।

आवश्यक हैं।

36. जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत संघ के व्यय विभाग ने एक को पूरा करने के लिए राज्यवार अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है।

राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के दौरान कहा है कि चार राज्यों ने अभी तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है।

असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल राज्य।

37. दिल्ली की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू किया है

योजना। श्री तुषार मेहता का कहना है कि एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया है और केवल एक सर्कल यानी सर्कल No.63, सीमापुरी में 42 ई-पी. ओ. एस. मशीनों के साथ केवल मुट्ठी भर लेनदेन किए गए हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत आने वाले प्रवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों में से एक है। जब प्रवासी श्रमिक पूरे देश में फैले होते हैं, तो प्रत्येक राज्य को इस योजना को लागू करना होता है, जो इस वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक आवश्यक कल्याणकारी उपाय है। आर. ई. में राज्यों का कर्तव्य है:

इस योजना को लागू करें, जो कि हित में एक कल्याणकारी योजना है

समाज के गरीब और सीमांत वर्ग। जब कोई प्रवासी श्रमिक काम/रोजगार के लिए किसी विशेष राज्य में पहुँचता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत आता है, तो प्राप्तकर्ता राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उसके अधिकारों और पात्रता से केवल इस तथ्य के कारण वंचित न किया जाए कि वह अपने मूल राज्य में नहीं है जहाँ से उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत राशन कार्ड जारी किया गया था।

38. इस प्रकार हमारा विचार है कि जिन राज्यों ने अभी तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू नहीं की है, उन्हें इसे लागू करना चाहिए।

एक ही। हम उन राज्यों को निर्देश देते हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है, वे इस योजना को 31.07.2021 तक लागू करें।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी का कवरेज।

39. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 3 (1) और 3 (2) इस प्रकार हैं:

" 3.लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार
सिस्टम। -- (1) धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत पहचाने गए प्राथमिकता वाले परिवारों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा।

राज्य से अनुसूची I में निर्दिष्ट रियायती मूल्य
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार:

बशर्ते कि अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार, उक्त योजना में प्रत्येक राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, अनुसूची-1 में निर्दिष्ट मूल्यों पर प्रति माह प्रति परिवार पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार होंगे:
बशर्ते कि यदि अधिनियम के तहत किसी भी राज्य को खाद्यान्न का वार्षिक आवंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्न के औसत वार्षिक उठाव से कम है, तो उसे यथासंभव कीमतों पर संरक्षित किया जाएगा।

केंद्र सरकार और राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा

अनुसूची IV में निर्दिष्ट अनाज का आवंटन।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए,

" अन्त्योदय अन्न योजना "का अर्थ है, केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई उक्त नाम की योजना; और समय-समय पर संशोधित की गई। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों की रियायतें रियायती मूल्यों पर पचहत्तर प्रतिशत तक बढ़ेंगी। ग्रामीण आबादी और ऊपर

पचास प्रतिशत तक। शहरी आबादी "।

40. धारा 9 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनसंख्या के कवरेज का प्रावधान करती है, जिसे केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाना है।

सरकार और राज्य के ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिनकी जनगणना के अनुसार प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यवार कवरेज का निर्धारण तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा 2011-2012 के लिए एन. एस. एस. घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके किया गया था। राज्यवार कवरेज के निर्धारण को 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस स्थिति में, केंद्र सरकार नए सिरे से कार्य करती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यवार कवरेज के निर्धारण से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए राज्यवार लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होना तय है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है -

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को फिर से निर्धारित करती है, जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगी।

(iv) अंतर-राज्य प्रवासी कर्मचारी (राज्य का विनियमन)

रोजगार और सेवा की स्थिति) अधिनियम, 1979

41. संसद ने उपरोक्त अधिनियम को अधिनियमित किया

प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में गलत प्रथाओं से बचाना प्रशंसनीय उद्देश्य है। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विस्तार से देखा गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की प्रणाली (उड़ीसा में ददन श्रम के रूप में जानी जाती है) एक शोषणकारी प्रणाली है। उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित है। उड़ीसा में, ददन आरईः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

नियुक्ति कि वेतन की गणना टुकड़ी दर के आधार पर हर महीने की जाएगी, आमतौर पर वादा पूरा नहीं किया जाता है। एक बार मजदूर ठेकेदार के चंगुल में आ जाता है, वह उसे केवल रेलवे किराए के भुगतान पर दूर-दूर तक ले जाता है। इन श्रमिकों के लिए काम करने का कोई समय निर्धारित नहीं है और उन्हें सप्ताह के सभी दिनों में बेहद खराब काम करने की स्थिति में काम करना पड़ता है। उनके मामले में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे विभिन्न कदाचारों के अधीन हैं।

2. श्रम मंत्रियों के सम्मेलन (नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1976) के अट्ठाईसवें सत्र में, जिसमें दादन लेबर के संरक्षण और कल्याण के प्रश्न पर विचार किया गया था, पूरे प्रश्न पर गौर करने और इस प्रणाली में प्रचलित दुरुपयोग को समाप्त करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक छोटी सी संक्षिप्त समिति के गठन की सिफारिश की गई थी। अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक आम तौर पर अनपढ़, असंगठित होते हैं और उन्हें आम तौर पर बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और इन कठिनाइयों को देखते हुए कुछ लोगों को काम करना पड़ता है।

जिस राज्य से उन्हें भर्ती किया जाता है और जिस राज्य में वे काम के लिए लगे हुए हैं, दोनों में प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था उनके शोषण से प्रभावी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। फरवरी, 1977 में गठित संक्षिप्त समिति ने अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने के लिए एक अलग केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के बाद भी विभिन्न प्रकार के कदाचारों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखेंगे।

ठेकेदारों/सरदारों/खतदारों, आदि, और विशिष्टताओं को देखते हुए इन श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाएं

जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है।

3. कॉम्पैक्ट समिति की सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों के परामर्श से की गई है और प्रस्ताव तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है

कानून के लिए। विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित कानून हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पांच या उससे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या पिछले बारह में से किसी भी दिन कार्यरत थे।

महीनों तक। यह हर उस ठेकेदार पर भी लागू होगा जो नौकरी करता है। या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन पाँच या अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त किया गया हो।

अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखने वाले प्रतिष्ठान को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत नियुक्त पंजीकरण अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रतिष्ठान केंद्रीय क्षेत्र या राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं। इसी तरह, प्रत्येक ठेकेदार जो अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की भर्ती या नियुक्ति का प्रस्ताव करता है, उसे उस राज्य के निर्दिष्ट प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसमें श्रमिक (गृह राज्य) से संबंधित है और जिस राज्य में उसे नियोजित करने का प्रस्ताव है (मेजबान राज्य)। ठेकेदार को संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

गृह राज्य और मेजबान राज्य दोनों के निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में कर्मचारी। ठेकेदार को अपने द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को एक पासबुक भी जारी करनी होगी, जिसमें कार्य का विवरण होगा।

रोजगार।

अंतर-राज्य प्रवासी कामगार को देय मजदूरी के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं और उन्हें उनकी भर्ती की तारीख से मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अपने वेतन के अलावा विस्थापन भत्ता और यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में उपयुक्त आवासीय आवास, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, अलग-अलग जलवायु स्थितियों के अनुरूप सुरक्षात्मक कपड़े और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे दूसरे राज्य से चले गए हैं, काम की उपयुक्त स्थितियों का प्रावधान शामिल होगा।

यह देखने के लिए कि कानून के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, उपयुक्त सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, राज्य को शक्ति दी गई है

परामर्श के बाद नियुक्त करने के लिए गृह राज्य सरकार आरईः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

मेजबान राज्य की सरकार के साथ, निरीक्षण के लिए निरीक्षक

जिन प्रतिष्ठानों में पूर्व राज्य के श्रमिकों को यह देखने के लिए नियुक्त किया गया है कि क्या ऐसे श्रमिकों के मामले में कानून के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

(viii) अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक मेजबान राज्य में अपने रोजगार से उत्पन्न औद्योगिक विवाद को उठा सकता है।

या रोजगार अनुबंध पूरा होने के बाद उस राज्य में लौटने के बाद गृह राज्य में। उसे मेजबान राज्य में किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित औद्योगिक विवाद के संबंध में कार्यवाही को गृह राज्य में संबंधित प्राधिकरण को इस आधार पर हस्तांतरित करने के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी जाएगी कि वह आदेश के बाद राज्य में लौट आया है।

अपने अनुबंध को पूरा करना।

(ix) के लिए निवारक दंड का प्रस्ताव किया गया है

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन।

42. धारा 1 (4) निम्नलिखित में अधिनियम की प्रयोज्यता का प्रावधान करती हैः

एरः

" 1 (4) यह लागू होता है।

(क) प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान को जिसमें पाँच या उससे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी हों।

कामगार (चाहे अन्य कामगारों के अलावा हों या नहीं)

नियोजित या जो पूर्ववर्ती के किसी भी दिन कार्यरत थे

बारह महीने;

(ख) प्रत्येक ठेकेदार को जो पांच या पाँच कर्मचारियों को नियुक्त करता है।

पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (अन्य श्रमिकों के अलावा या नहीं)।

43. धारा 2 एक परिभाषा खंड है। उपखंड (बी) परिभाषित करता है

रेक्टर "और उपखंड (ई)" अंतर-राज्य प्रवासी कामगार "को परिभाषित करता है।

कमियाँः

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXXXXXXXXXX

((ख) किसी प्रतिष्ठान के संबंध में "ठेकेदार" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

जो (चाहे एक स्वतंत्र ठेकेदार, अभिकर्ता, कर्मचारी या अन्यथा के रूप में) किसी दिए गए परिणाम का उत्पादन करने का उपक्रम करता है

प्रतिष्ठान, केवल वस्तुओं या वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा [2021] 7 एस. सी. आर.

ऐसे प्रतिष्ठान को रोजगार द्वारा उत्पादन का

कर्मचारी या प्रतिष्ठान को श्रमिकों की आपूर्ति करने के लिए, और इसमें एक उप-ठेकेदार, खतादार, सरदार, एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जो भर्ती करता है या

श्रमिकों को नियुक्त करता है;

(ई) "अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो

किसी राज्य में रोजगार के लिए किसी समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से भर्ती किसी अन्य राज्य में स्थापना, चाहे वह इस संबंध में प्रमुख नियोक्ता की जानकारी के साथ हो या उसके बिना

स्थापना; "

44. अध्याय 2 अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से संबंधित है। धारा 6 में एक निषेधाज्ञा है कि किसी प्रतिष्ठान का कोई भी प्रमुख नियोक्ता प्रतिष्ठान में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि अधिनियम के तहत ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। इसी तरह, अध्याय III

ठेकेदारों को लाइसेंस देने से संबंधित है। धारा 8 (2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के तहत एक लाइसेंस में समझौते या अन्य व्यवस्था के नियम और शर्तें हो सकती हैं जिसके तहत श्रमिक होंगे

ठेकेदार से। धारा 12 (1) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे विवरण और ऐसे रूप में प्रस्तुत करे जो हो सके - राज्य में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए, जिससे एक अंतर

राज्य प्रवासी श्रमिक की भर्ती की जाती है और उस राज्य में जिसमें ऐसा श्रमिक नियुक्त किया जाता है, भर्ती की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, या, जैसा भी मामला हो, रोजगार की तारीख से। "अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) केंद्रीय नियम, 1980" नाम से बनाए गए नियमों में नियम 21 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 21. प्रवासी कामगार का विवरण। - (1) प्रत्येक ठेकेदार निर्दिष्ट प्राधिकारियों को संबंधित विवरण प्रस्तुत करेगा।

फॉर्म X में प्रवासी कामगारों की भर्ती और रोजगार।

(2) विवरण या तो ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित निर्दिष्ट अधिकारियों को दिया जाएगा या उन्हें भेजा जाएगा।

पंजीकृत डाक द्वारा "। इन आरई:

46. विभिन्न आवेदकों और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि हालांकि 1979 के अधिनियम को कई राज्यों द्वारा लागू किया गया है, लेकिन न तो ठेकेदारों का उचित लाइसेंस है और न ही प्रतिष्ठानों का पंजीकरण है, जिसके कारण प्रवासी श्रमिक उस लाभ को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं जिसके वे हकदार हैं। विभिन्न राज्यों, जैसे कर्नाटक राज्य (2017), केरल राज्य (2018) के संदर्भ दिए गए हैं, जहां यह कहा गया है कि 1979 के अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। संसद द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में अधिनियमित एक कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से दायर हलफनामों में संबंधित कोई तथ्य और आंकड़े नहीं दिए गए हैं

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए। अधिनियम को लागू न करने से प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने और अधिनियम के तहत सभी ठेकेदारों को लाइसेंस देने के लिए एक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रवासी श्रमिकों का विवरण देने के लिए ठेकेदारों पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया जाए। सक्षम प्राधिकारी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करते समय और ठेकेदारों को लाइसेंस देते समय भी लागू कर सकते हैं।

अधिनियम के अध्याय 5 में निर्धारित सेवा की स्थिति, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं से संबंधित शर्तें।

(v) असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

47. आई. डी. 1 और आई. डी. 2 पर इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में, हम पहले ही (i) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 जैसे अधिनियमों का उल्लेख कर चुके हैं। 1996 का अधिनियम संसद द्वारा भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, [2021] 7 एस. सी. आर.

और कल्याणकारी उपाय और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए। सी. टी. प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अध्याय IV भवन निर्माण श्रमिकों को लाभार्थियों के रूप में प्रस्तुत करता है और पहचान पत्रों पर भी विचार करता है। 1996 के अधिनियम की धारा 12 और 13 इस प्रकार हैं -

वीएसः

" 12. भवन निर्माण श्रमिकों का लाभार्थियों के रूप में पंजीकरणः -(1)

प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने अठारह वर्ष पूरे कर लिए हों।

आयु, लेकिन साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जो किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान नब्बे दिनों से कम समय इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।

इस ओर से।

(3) उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आवेदन होगा

ऐसे दस्तावेजों के साथ इस तरह के शुल्क के साथ नहीं

पचास रुपये से अधिक, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(4) यदि उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक ने प्रावधानों का पालन किया है। इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, वह

इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में भवन निर्माण श्रमिक का नाम

बशर्ते कि पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना।

(5) उप-धारा के तहत निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति

(4) इस तरह के निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर, पसंद कर सकते हैं

बोर्ड के सचिव या किसी अन्य अधिकारी से अपील बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट और

ऐसी अपील पर सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी अंतिम होगाः

बशर्ते कि सचिव या कोई अन्य अधिकारी निर्दिष्ट

बोर्ड द्वारा इस ओर से अपील पर विचार करने के बाद

तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति यदि वह संतुष्ट है कि

भवन निर्माण श्रमिक को दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था समय पर अपील करें।

(6) बोर्ड का सचिव बनाए रखने का कारण बनेगा

ऐसे रजिस्टर जो विहित किए जाएं।

आरईः प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

13. पहचान पत्रः -(1) बोर्ड प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र देगा जिस पर उसका फोटो विधिवत चिपकाया जाएगा।

और भवन के विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ या उनके द्वारा किए गए अन्य निर्माण कार्य।

(2) प्रत्येक नियोक्ता पहचान पत्र में लाभार्थी द्वारा किए गए भवन या अन्य निर्माण कार्यों का विवरण दर्ज करेगा।

और इसे प्रमाणित करें और इसे लाभार्थी को वापस कर दें।

(3) एक लाभार्थी जिसे इस अधिनियम के तहत एक पहचान पत्र जारी किया गया है, उसे किसी भी अधिकारी द्वारा जब भी मांग की जाएगी, उसे प्रस्तुत करना होगा।

सरकार या बोर्ड, किसी भी निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकरण का

निरीक्षण के लिए "।

48. अन्य अधिनियम, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है

सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008। का वक्तव्य

सी. टी. एस. और अधिनियम के कारणों ने उद्देश्य को विस्तार से देखा

अधिनियमन का उद्देश्य, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण। यह अनुमान लगाया गया है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 94 प्रतिशत से अधिक है। कुल रोजगार में

देश। अपने असंगठित स्वभाव के कारण, ये श्रमिक

पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं - केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट समूहों के लिए लागू किया जा रहा है

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे बीड़ी श्रमिकों, गैर-कोयले खान श्रमिक, सिने श्रमिक, हथकरघा बुनकर, मछुआरे आदि।

राज्य सरकारें कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं -

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कुछ श्रेणियाँ और कुछ गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिक

सरकारी संगठन भी कुछ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

श्रमिकों की श्रेणियाँ। इन सभी प्रयासों के बावजूद, देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कवरेज में भारी कमी है।

श्रम संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपायों का मामला

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण और कल्याण,

जैसे कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी मजदूर,

2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र के कल्याण का प्रावधान करना है। श्रमिकों और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों का प्रावधान किया गया है, अर्थात्:

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय निकाय का गठन करेगी।

((i)

सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करेगा और इन सिफारिशों पर विचार करने पर केंद्र सरकार जीवन और विकलांगता से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है।

कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, या कोई अन्य लाभ।

राज्य सरकार राज्य सामाजिक संगठन का गठन करेगी।

((ख)

सुरक्षा सलाहकार बोर्ड उपयुक्त कल्याण की सिफारिश करेगा

उस राज्य में असंगठित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं और राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है।

असंगठित श्रमिकों के एक या अधिक वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं।

((iii) असंगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र होगा यदि वह विधिवत पंजीकृत है। असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या वाला एक स्मार्ट कार्ड होगा और

पोर्टेबल।

((iv) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी -

विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करना।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

49. असंगठित श्रमिकों की हिस्सेदारी 94 प्रतिशत है।

कार्यबल, जो ऊपर निकाले गए उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी देखा गया है। असंगठित श्रमिक गरीब वर्ग से हैं।

समाज के, कम शिक्षित और अपने नियोक्ता के अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं हैं। असंगठित श्रमिक भी अधिनियम, 2008 के तहत आसानी से अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं ताकि वे केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। धारा 10 पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 10. पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता।

(1) प्रत्येक असंगठित श्रमिक पंजीकरण के लिए पात्र होगा। निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन, अर्थात्:

((क) वह चौदह वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा;

और

(ख) उसके द्वारा एक स्व-घोषणा जो इस बात की पुष्टि करती है कि वह या

वह एक असंगठित कार्यकर्ता हैं।

(2) प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिक को पंजीकरण के लिए जिला प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

(3) प्रत्येक असंगठित श्रमिक को पंजीकृत किया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या वाला एक स्मार्ट कार्ड होगा और पोर्टेबल होगा।

(4) यदि किसी योजना में किसी पंजीकृत असंगठित श्रमिक को योगदान करने की आवश्यकता होती है, तो वह सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र होगा।

योजना के तहत केवल इस तरह के योगदान के भुगतान पर। (5) जहां किसी योजना में केंद्र या राज्य सरकार से योगदान करने की आवश्यकता होती है, वहां केंद्र या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, नियमित रूप से योगदान करेगी।

योजना "।

50. इस स्तर पर, हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों को देख सकते हैं। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 प्राप्त हुई है।

अगस्त, 2020 में राष्ट्रपति की मंजूरी लेकिन आधार के उपयोग के प्रावधान को छोड़कर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार, अधिनियम, 1996 और अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकरण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के लागू होने तक जारी रहना होगा, अधिनियम, 1996 और अधिनियम, 2008 दोनों के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण असंगठित श्रमिकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि पंजीकरण के बाद ही वे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार, जहां तक श्रमिकों के कल्याण का संबंध है, असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण है।

51. हमने इस कार्यवाही में पारित अपने विभिन्न आदेशों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए कहा था

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कानूनों के तहत किए गए श्रमिकों के पंजीकरण और उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति का उल्लेख करते हुए अपने विस्तृत हलफनामे दायर किए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रिकॉर्ड में लाए गए तथ्यों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदम समझने योग्य हैं। विभिन्न राज्यों के शपथ पत्रों में परिलक्षित पंजीकरण की स्थिति पर संक्षेप में ध्यान देना उपयोगी है।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनसीटी दिल्ली

प्रवासी श्रमिक दिसंबर, 2019 से कार्यरत हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) और सेवा की शर्तें) नियम, 1982 को 04.06.1982 पर अधिसूचित किया गया है। यह आगे कहा गया है कि धारा 2 (ई) के आधार पर, प्रवासी श्रमिक स्वयं अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकरण नहीं कर सकते हैं और यह ठेकेदार है, जिसे प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करना होता है। अधिनियम, 1996 के संबंध में, यह कहा गया है कि उक्त अधिनियम के तहत, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (आरई एंड सीएस) नियम, 2002 को अधिसूचित किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न नियोक्ताओं को अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत कराने के लिए नोटिस जारी करके कदम उठाए जा रहे हैं। असंबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के संबंध में निम्नलिखित बयान दिया गया हैः

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

आई.

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया। श्रम विभाग, जी. एन. सी. टी. डी. सामाजिक संहिता के तहत नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है।

सुरक्षा संहिता, 2020।

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की प्रक्रिया में है

ii.

देश भर में एकरूपता और पोर्टेबिलिटी भी-इस संबंध में केंद्र सरकार से कार्रवाई की प्रतीक्षा है।
जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा 27.07.2020 पर नौकरी पोर्टल शुरू किया गया था।

iii.

नियोक्ताओं और संभावित नौकरी चाहने वालों के बीच एक संवादात्मक मंच। यह संवादात्मक मंच भावी लोगों की मदद करेगा।

नौकरी चाहने वाले रोजगार प्राप्त करने के लिए "।

गुजरात राज्य

53. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुमानित 23 लाख अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठानों और कारखानों में कार्यरत हैंः

गुजरात राज्य में। उसी के अनुसरण में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पोर्टल, जिसे "ई-निर्माण" पोर्टल कहा जाता है, तैयार है और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 08.06.2021 पर लॉन्च किया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। के माध्यम से,

"ई-निर्माण" पोर्टल पर निर्माण श्रमिकों को अब पुरानी प्रणाली में प्रदान की जा रही भौतिक पासबुक के विपरीत उनके विवरण वाला एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता, मृत्यु और स्थायी विकलांगता के मामलों में सहायता, शिक्षा से संबंधित सरकार की 20 से अधिक योजनाओं का सीधे लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।

सहायता, छात्रावास सुविधा योजना आदि और इस प्रकार लाभार्थियों के लिए ऐसी योजनाओं के प्रभाव को गहरा करना।

54. गुजरात राज्य ने एक साथ एक पोर्टल स्थापित किया है

(gujaratuwin.csccloud.in) असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए। उक्त पोर्टल को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 08.06.2021 पर भी लॉन्च किया गया है और "ई-निर्माण" पोर्टल के साथ इसे चालू किया गया है। असंगठित श्रमिकों के लिए यह पोर्टल भी 21290 से अधिक के साथ एकीकृत है।

राज्य में सामान्य सेवा केंद्र और जारी करने के लिए उपयोग किए जाएंगे

असंगठित श्रमिक पहचान संख्या (यू-विन) कार्ड। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस पोर्टल पर पंजीकृत आंकड़ों को बाद में राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा जिसे असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस परियोजना के रूप में संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार।

तार बनाने वालों, रिक्शा चालकों, पतंग बनाने वाले श्रमिकों, सब्जी विक्रेताओं, बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों, दर्जी आदि की पहचान पहले ही की जा चुकी है और ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया पंजीकरण को असंगठित श्रमिकों के दरवाजे तक लाया जाएगा।

तेलंगाना राज्य

56. तेलंगाना राज्य की ओर से कहा गया है कि श्रमिकों का पंजीकरण और असंगठित लोगों को पहचान पत्र जारी करना।

भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली से पंजीकरण मॉड्यूल प्राप्त करने के तुरंत बाद श्रमिकों को संसाधित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य

57. शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, लगभग 4,34,658 प्रवासी श्रमिक जो [2021] 7 एस. सी. आर. लौट आए हैं।

अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी पात्रता के अनुसार लाभ हुआ है। सरकार और राज्य सरकार।

58. असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और कुल मिलाकर लगभग 14,33,702 असंगठित हैं

श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य

59. उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकरण की एक मजबूत प्रणाली बनी हुई है

राज्य में आने वाले ऐसे प्रवासी श्रमिकों के बारे में, जैसा कि पिछले हलफनामे दिनांक 22.05.2021 में विस्तार से बताया गया है। राहत आयुक्त की वेबसाइट पर एक पोर्टल, HTTP: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. रत। ऊपर। ठीक है। में, बनाया गया है, जिस पर सभी प्रवासी श्रमिकों के सभी प्रासंगिक विवरण वास्तविक समय में अपलोड किए जाने हैं।

60. निदेशक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रशिक्षण और

रोजगार, उत्तर प्रदेश, पूरे कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान 37,84,255 प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। उनका कौशल मानचित्रण पूरा हो चुका है और 10,44,710 श्रमिकों के पास है

पहले से ही विभिन्न योजनाओं में रोजगार दिया गया है

राज्य सरकार के विभाग। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 08.06.2021 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 3,79,220 प्रवासी श्रमिकों का विवरण/डेटा पंजीकृत किया गया है और उनके कौशल का मानचित्रण किया गया है। रत। ऊपर। ठीक है। पोर्टल में 01.04.2021 के बाद से।

61. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राहट। ऊपर। ठीक है। इन पोर्टल का उपयोग पंजीकृत श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों की पहचान करने के लिए भी किया जा रहा है ताकि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 15.05.2021 पर सभी पात्र व्यक्तियों को Rs.1000 का निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए लिए लिए गए निर्णय का लाभ उठाया जा सके।

सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से महीने दर महीने। द राथ। ऊपर। ठीक है। इन पोर्टल का उपयोग ऐसे लाभार्थियों के ऐसे पंजीकरण के उद्देश्य से किया जाना है। 08.06.2021 पर ऐसे व्यक्तियों का डेटा/विवरण 18.05.2021 के बाद से राहत पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

झारखंड राज्य

62. यह प्रस्तुत किया जाता है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान, भवन के तहत 39,853 की अतिरिक्त संख्या पंजीकृत की गई है और

अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम)। इनमें से 22,830 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है और Rs.13,98,15,919/- को आरई में वितरित किया गया हैः

झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, रांची द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत। 63. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि श्रम आयुक्त, झारखंड द्वारा राज्य में अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं।

क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए No.557 दिनांकित 28.05.2021 और No.577 दिनांकित 08.06.2021 पत्र उनके अधिकार क्षेत्र और निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत अब तक लाखों असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।
(ख) राज्य द्वारा लाभ के लिए पाँच योजनाएं शुरू की गई हैं।

असंगठित श्रमिकों के लिए।

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या Rs.51,50,650/- विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित की गई है।

बिहार राज्य

64. बिहार राज्य ने पंजीकरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है।

दिनांक 21.05.2021 के हलफनामे में प्रवासी मजदूरों की संख्या। लगभग 19 लाख प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया गया और कौशल मानचित्रण के तहत लाया गया। उनके ब्लॉक/ब्लॉक संगरोध शिविरों में उनके आगमन पर पोर्टल ऐप। श्रम संसाधन विभाग के श्रमिक पंजिकरण पोर्टल के तहत लगभग 11 लाख प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया गया था। "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" के तहत लगभग 2 लाख असंगठित श्रमिकों का नामांकन किया गया है।

65. राष्ट्रीय डेटा बेस के विकास के संबंध में

असंगठित श्रमिक (एन. डी. यू. डब्ल्यू.), यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र D.O.No.M-16011/1/2019-एस. एस.-3 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया है कि उसने व्यापक विकास शुरू कर दिया है।

असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा आधार (एन. डी. यू. डब्ल्यू.)

दो नोडल अधिकारियों के विवरण के साथ कार्यकर्ता। विभाग ने अपने पत्र संख्या 1/यू. एल. के माध्यम से। 10-05 / 2020-21 दिनांक 08.04.2021 नामांकित [2021] 7 एस. सी. आर.

बिहार के श्रम आयुक्त और बिहार के संयुक्त श्रम आयुक्त को असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, विभाग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पत्र संख्या-1/UL.10-05/2020-107 दिनांक 16.04.2021 के माध्यम से व्यापक कार्य योजना भी प्रदान की।

कर्नाटक राज्य

67. अधिनियम, 1996 के तहत कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है और पात्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को -

कर्नाटक राज्य की ओर से प्रस्तुत कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा तैयार की गई 19 कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख है। अधिनियम, 2008 के संबंध में यह कहा गया है कि कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कर्नाटक राज्य के श्रम विभाग के अधीन कार्य करना

वेब पोर्टल "ksuwssb" पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 11 श्रेणियों को पंजीकृत करना। "में।

पश्चिम बंगाल राज्य

68. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने हलफनामे में एक ऐसी योजना का उल्लेख किया है जिसके तहत 1,000/- रुपये का नकद लाभ उन असंगठित श्रमिकों को हस्तांतरित किया गया था, जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी थे और जिन्हें किसी भी सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। उपरोक्त दो अधिनियमों के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य

69. प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित है -

कहा गयाः

" ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तंत्र के माध्यम से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

प्रशासन विभाग शहरी क्षेत्रों में अपने शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सभी श्रेणियों के प्रवासियों और उनके परिवार के अपने आवासों पर लौटने के संबंध में जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया में है। "प्रवासीशमिक" नामक एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें प्रवासी मध्य में अपने आवासों पर लौट आए हैं:

प्रदेश को पंचायत और शहरी निकाय के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा क्रमशः पंजीकृत किया जाता है। इस पोर्टल पर 01.06.2021 तक कुल 41,392 प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। उपरोक्त के अलावा, राज्य में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण वर्ष 2018 में 'मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना' के तहत शुरू किया गया था। उक्त योजना के तहत अब तक लगभग 1.47 असंगठित श्रमिकों को पूरा डेटाबेस दिया गया है।

पंजीकृत "।

महाराष्ट्र राज्य

70. असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में, यह कहा गया है कि अधिनियम, 2008 के तहत, महाराष्ट्र असंगठित श्रमिक सामाजिक

सुरक्षा नियम, 2013 बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी 03.04.2018 पर गठन किया गया है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आज तक मार्च, 2019 से सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लगभग 5,88,304 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत नामांकित किया गया है। इसके अलावा, असंगठित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, जैसे (i) भविष्य निधि, (ii) कार्यस्थल पर चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता, (iii) आवास योजनाएं, (iv) बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, (v) कौशल विकास, (vi) अंतिम संस्कार लाभ, (vii) वृद्धाश्रम।

71. इसके अलावा, अधिनियम, 1996 के संबंध में, महाराष्ट्र राज्य की ओर से निम्नलिखित कहा गया हैः

" भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 का उपयोग करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ("बोर्ड") का गठन किया है। बार्ड ने निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बोर्ड ने चार विशेष पंजीकरण लागू किए हैं।
पूरे महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों में ड्राइव करें। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का मासिक योगदान घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। 1 / - प्रति माह (5/- रुपये प्रति माह से)। बोर्ड पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों और स्थानीय प्रतिनिधियों की मदद ले रहा है

निर्माण श्रमिकों को। के अधीन निगरानी समितियाँ

जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता का भी गठन किया जाता है

पंजीकरण, नवीकरण और लाभ वितरण। मुख्यमंत्री, [2021] 7 एस. सी. आर. की उपस्थिति में लाभ वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

श्रम मंत्री, संबंधित जिले के संरक्षक मंत्री और एक स्थानीय प्रतिनिधि। बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव के कारण निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण

पिछले तीन वर्षों में वृद्धि हुई है। कुल पंजीकरण निर्माण श्रमिक 15.05.2021 तक 25,53,519 हैं और सक्रिय हैं।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक 11,82,152 हैं।

72. अपने पिछले आदेश में, हमने विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) में पारित इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.08.2018 का उल्लेख किया था। नंबर 150 का 2012. इस अदालत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को निर्देश दिया था

अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकरण के उद्देश्यों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉड्यूल उपलब्ध कराना और 21.08.2018 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय अब असंगठित के लिए पंजीकरण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है

श्रमिकों और सुरक्षा लेखा परीक्षा के बाद इसे दिसंबर, 2018 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद इसे आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा पंजीकरण और कागजी पहचान पत्र जारी करना।

हम सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को 10 प्रतिशत पंजीकरण शुरू करने का निर्देश देते हैं

जनवरी, 2019 के महीने से शुरू होने वाले हर महीने श्रमिकों की अनुमानित संख्या और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

31.01.2019 .

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्रालय दिसंबर, 2018 के अंतिम सप्ताह तक पंजीकरण के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉड्यूल उपलब्ध कराएगा।

के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मॉड्यूल पंजीकरण। हम ऊपर देख चुके हैं कि कई राज्यों ने कहा है कि

उनके शपथ पत्र कि वे आगे बढ़ने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले मॉड्यूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। इस संदर्भ में, हम श्रम मंत्रालय की दिनांकित 05.05.2021 प्रेस विज्ञप्ति का भी उल्लेख कर सकते हैं और

रोजगार, जिसमें कहा गया हैः

आरईः प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और भूल [अशोक भूषण, जे।]

आधार। अनुभाग की अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को आधार विवरण एकत्र करने में सक्षम बनाएगी। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थी।

असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा आधार (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकास के एक उन्नत चरण में है।

केंद्र। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए डेटा एकत्र करना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ। एक अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है।

केवल आधार प्रस्तुत करने का आधार।

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट किया है कि इस धारा के तहत

सामाजिक सुरक्षा संहिता को केवल प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के आंकड़ों के संग्रह के लिए अधिसूचित किया गया है। किसी भी लाभ से इनकार नहीं किया जाएगा।

आधार की कमी के कारण श्रमिकों को "।

74. हमने अपने दिनांकित 24.05.2021 द्वारा भारत संघ को विशेष रूप से प्रक्रिया के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था

मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए असंगठित श्रमिकों का विवरणयूआर और रोजगार। हमारे निर्देश के अनुसरण में, एक शपथ पत्र है

भारत संघ द्वारा दिनांक 09.06.2021 पर दायर किया गया। पैराग्राफ 16,17 में

8 शपथपत्र में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 16. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख तकनीकी के साथ-साथ अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों को हल कर लिया गया है और पोर्टल का विकास शुरू हो गया है। हालाँकि, हाल ही में कोरोना के प्रकोप ने पोर्टल के विकास को प्रभावित किया है।

परियोजना से जुड़े कर्मचारी कोविड से प्रभावित थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, एमओ. एल. ई. पहले ही पहली किस्त जारी कर चुका है।

रु. से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम को 45.39 करोड़।

(एन. आई. सी. एस. आई.) जनवरी/फरवरी, 2021 के महीने में आवश्यकता के लिए

सॉफ्टवेयर। 17. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. सी. को एन. डी. यू. डब्ल्यू. पोर्टल को जल्द से जल्द तैयार करने और सौंपने का काम सौंपा गया है, अधिमानतः अगले 3 से 4 महीनों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इसे पूरा करने के लिए।

असंगठित श्रमिकों का उनके जिलों के माध्यम से पंजीकरण [2021] 7 एस. सी. आर.

और राज्य स्तर की प्रशासनिक मशीनरी। अंत में, यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे सामान्य सेवा केंद्रों, राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण के लिए असंगठित श्रमिकों को जुटाकर आंकड़ों को तैयार करें।

श्रम सुविधा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र

इस पोर्टल पर डाक विभाग आदि। इस उद्देश्य के लिए, पंजीकरण की निगरानी के लिए मासिक मापने योग्य मील के पत्थर के साथ मंत्रालय में एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है

प्रभावी तरीके से काम करें। इसके अलावा, कर्मचारी मोबाइल ऐप या एन. डी. यू. डब्ल्यू. पोर्टल के माध्यम से स्वयं या सहायता मोड में अधिक सुविधाजनक तरीके से खुद को पंजीकृत कर सकेंगे।

18. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों, गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, भवन/निर्माण श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों और इसी तरह के अन्य श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक, गतिशील और उपयोगी राष्ट्रीय डेटाबेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/लाभों के सही लाभार्थी हो सकें।

सरकार और राज्य सरकारें "।

75. असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत संघ द्वारा लिया गया रुख हमारी सराहना नहीं करता है। हमारे पास है।

इस बात पर ध्यान दिया कि इस न्यायालय ने 21.08.2018 पर श्रम और रोजगार मंत्रालय को पंजीकरण के उद्देश्य से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉड्यूल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एन. डी. यू. डब्ल्यू. पोर्टल बनाने का केंद्र सरकार का निर्णय कोई अपवाद नहीं हो सकता है ताकि असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध हो सके। उपरोक्त पैराग्राफ में एक बयान दिया गया है कि एन. आई. सी. को एक पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए रु। जनवरी/फरवरी, 2021 के महीने में 45.39 करोड़ जारी किए गए हैं। जब असंगठित श्रमिक पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और राज्यों और केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का उदासीनता और अभावपूर्ण रवैया अक्षम्य है। महामारी और लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित श्रमिकों की सख्त आवश्यकता को देखते हुए पोर्टल को अंतिम रूप देने और लागू करने की तात्कालिकता थी। आई. डी. 1 पर निर्देश दिए जाने के बावजूद मॉड्यूल को पूरा नहीं करने में श्रम और रोजगार मंत्रालय का रवैया दर्शाता है कि मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों की चिंता के प्रति सचेत नहीं है और मंत्रालय की गैर-कार्रवाई को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाता है। हम आरई में आगेः

76. प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। हम केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एन. डी. यू. डब्ल्यू.) परियोजना के तहत पंजीकरण के लिए पोर्टल को पूरा करने के साथ-साथ इसे लागू करने के लिए कहते हैं, जो किसी भी तरह से आई. डी. 1 के बाद शुरू हो सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि पंजीकरण पूरा होने के बाद, डेटा का सुधार और अद्यतन हमेशा संभव होना चाहिए और जो प्रक्रिया का हिस्सा है। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद ही राज्यों और

केंद्र उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में सक्षम होगा। इससे पहले जब तक पंजीकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक सभी राज्यों और केंद्र द्वारा बड़े-बड़े दावे कि उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, केवल कागजों पर ही रह जाते हैं

असंगठित श्रमिकों को कोई लाभ दिए बिना।

(vi) सामुदायिक रसोईघर

सामुदायिक रसोई। कर्नाटक राज्य का कहना है कि इंदिरा कैंटीन नामक सामुदायिक रसोईघर नगर निगम/नगर निगम सीमा में चलाए जा रहे हैं। यह राज्य की ओर से कहा गया है केरल ने कहा कि केरल राज्य 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को सरकारी आदेश दिनांक 26.03.2020 और 03.04.2020 के अनुसार सामुदायिक रसोई प्रदान कर रहा है। यह कहा गया है कि केरल सरकार ने पात्र श्रेणियों को भोजन के पैकेट प्रदान करने के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थानों के तहत "भूख मुक्त केरल-जनकिया होटल और सामुदायिक रसोई" योजना के संचालन के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 11.05.2021 पर जनकिया होटल और सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए आगे के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब राज्य प्रस्तुत करता है कि पंजाब के विभिन्न जिलों में 38 सामुदायिक रसोईघर काम कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य का मामला यह है कि [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

140 अन्नपूर्णा कैंटीन ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा में उपलब्ध हैं जहाँ भोजन 5/- रुपये में दिया जाता है। प्रवासी श्रमिक उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तमिलनाडु राज्य का मामला यह है कि सरकारी नीति के अनुसार, तमिलनाडु के विभिन्न नगर निगमों में सामुदायिक रसोई के रूप में काम करने वाली सरकार द्वारा संचालित कैंटीन में लॉकडाउन अवधि के दौरान हर कोई मुफ्त में भोजन प्राप्त कर सकता है। द. एन. सी. टी. दिल्ली सरकार का कहना है कि आई. डी. 1 पर घोषित कर्फ्यू और लॉकडाउन को देखते हुए, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों की राहत और कल्याण के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कीं। दिल्ली के सभी 11 जिलों में प्रवासी श्रमिकों, दैनिक श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भूख राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं। भोजन के पैकेट बनाए जा रहे हैं।

निर्माण स्थलों पर प्रदान किया गया। यू. पी. राज्य का मामला यह है कि जी. ओ. दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से, यू. पी. सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को समायोजित करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर/संगरोध सुविधाएं/जांच शिविर स्थापित करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत अस्थायी शिविरों में एक दिन में दो बार पूर्ण भोजन प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य में, यह कहा गया है कि "मां सामुदायिक रसोई योजना" कोलकाता नगर निगम क्षेत्र और अन्य नगर पालिकाओं/निगम क्षेत्रों में मार्च, 2021 से चल रही है, जहां प्रति भोजन 5/- रुपये की रियायती दर पर अच्छा भोजन प्रदान किया जाता है, जिसका लाभ कोई भी ले सकता है। 23 जिलों में 150 कैंटीन चल रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य का यह भी कहना है कि "दीनदयाल अन्त्योदय रसोई" योजना के तहत फरवरी, 2021 से 52 जिला मुख्यालयों और 6 अन्य प्रमुख धार्मिक शहरों में 100 रसोई केंद्र काम कर रहे हैं। की स्थिति

महाराष्ट्र ने कहा कि वर्तमान में कोई भी प्रवासी श्रमिक नहीं है, जो राज्य में 'फंसे हुए' हैं, इसलिए 'फंसे हुए' प्रवासी श्रमिकों को सामुदायिक रसोई प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं है। राज्य 'शिव भोजन थाली' नामक एक योजना का उल्लेख करता है, जो जनता को रुपये में भोजन प्रदान करती है। 10 / - .

78. यह सच है कि लॉकडाउन में छूट और लगाए गए प्रतिबंधों के बाद सभी उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है।

प्रवासी श्रमिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, लेकिन फिर भी प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिला है। महामारी के दौरान राज्य सामुदायिक रसोई चला रहे हैं। हमारा विचार है कि राज्य को प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं।

सामुदायिक रसोई को कम से कम महामारी तक जारी रखा जाना चाहिए। जारी है। राज्यों को उन स्थानों का विज्ञापन करना चाहिए जहां समुदाय की सुविधा आरई में हैः

रसोईघर/सब्सिडी वाला भोजन प्रदान किया जाता है ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर, जो अपने दो भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो, भूखे न रह सके।

(vii) असंगठित श्रमिकों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण।

एक प्रवासी मजदूर को सीधे बैंक हस्तांतरण करने के लिए राज्य द्वारा लिया गया। प्रत्यक्ष बैंक अंतरण नीति का विषय होने के कारण और राज्य के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जैसा कि कुछ आवेदकों/हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। हम केवल यह देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में मौजूदा योजना के अनुसार सीधे बैंक हस्तांतरण का हकदार है, तो वह नीति निर्णय में प्रदान किए गए तंत्र द्वारा उक्त लाभ का लाभ उठा सकता है। 80. पूर्वगामी चर्चाओं और हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैं:

यह निर्देश दिया जाता है कि केंद्र सरकार का विकास

((i)

31.07.2021 से बाद में शुरू न करें। हम इस बात पर भी जोर देते हैं और निर्देश देते हैं कि असंगठित मजदूरों/प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, लेकिन 31.12.2021 के बाद नहीं। सभी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और लाइसेंस धारकों/ठेकेदारों और अन्य लोगों को प्रवासी श्रमिकों और असंगठित लोगों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित प्रवासी श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध होगा जिनके कल्याण के लिए कल्याण

योजनाएं घोषित की जाती हैं।

केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्यों द्वारा बनाई गई कुछ योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के अनुसार अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने का बीड़ा उठाया है, हम केंद्र सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को निर्देश देते हैं

(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की मांग के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन और वितरण करेगा

प्रवासी मजदूरों को सूखे खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न।

हम राज्यों को प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरित करने के लिए एक उपयुक्त योजना लाने का निर्देश देते हैं, जिसके लिए राज्यों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन करने के लिए कहना होगा, जो उपरोक्त निर्देश के अनुसार राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करेगा। राज्य एक उपयुक्त योजना पर विचार करेगा और लाएगा, जिसे 31.07.2021 पर या उससे पहले लागू किया जा सकता है। इस तरह की योजना को वर्तमान महामारी (कोविड-19) के जारी रहने तक जारी और संचालित किया जा सकता है।

जिन राज्यों ने अभी तक "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना को लागू नहीं किया है, उन्हें इसे 31.07.2021 तक लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को फिर से निर्धारित करने की कवायद कर सकती है।

हम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी को पंजीकृत करने का निर्देश देते हैं

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को समुदाय चलाने का निर्देश दिया जाता है प्रमुख स्थानों पर रसोई जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उन प्रवासी मजदूरों को खिलाने के लिए पाए जाते हैं, जिनके पास दिन में दो बार भोजन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

और भूल [अशोक भूषण, जे।]

सामुदायिक रसोई का संचालन जारी रखा जाना चाहिए ए कम से कम महामारी (कोविड-19) जारी रहने तक।

81. उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका और 2020 की रिट याचिका (सी) No.916 का निपटारा कर दिया गया है। देविका गुजराल